



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233745
CG-DL-E-25022022-233745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 828]
No. 828]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 858(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और समान गैसों) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योगों की ऐसी सेवाओं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 29 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1263(अ), तारीख 19 मार्च, 2021 द्वारा तारीख 19 मार्च, 2021 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम बार उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोकहित उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार करना लोक हित में अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस इत्यादि) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योगों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2017-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 858(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like), which is covered under item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th March, 2021 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1263(E), dated the 19th March, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months from the date of publication of this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, hereby declares the said industry engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like) to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/2/2017-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.